न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 51/2019

अपीलांट्स– *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

1. मंजूदेवी पत्नी नवरतनमल
2. नीरज कुमार पुत्र नवरतनमल
3. मनीष कुमार पुत्र नवरतनमल

निवासी वर्धमान आदर्श विद्या मंदिर के पास, रेगरपुरा बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

1. उप तहसीलदार जसोल तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. भंवरलाल पुत्र मोहनलाल
3. पुष्पादेवी पत्नी मदनलाल सालेचा जाति ओसवाल निवासी विमलनाथ कॉलोनी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
4. गीता देवी पत्नी तनसुख श्रीश्रीमाल जाति जैन निवासी महावीर कॉलोनी, बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
5. नगर परिषद बालोतरा जरिये आयुक्त नगर परिषद बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.06.2009 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनिल के मेराजा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2व3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री जेठूलाल प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।
5. रेस्पोडेंट सं. 4 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:43 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 10.08.2021

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोंडेंट उप तहसीलदार जसोल के [illegible] कृषि

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 10.06.2009 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 744, 745, 746 रकबा क्रमशः 07–12, 00–01, 08–17 बीघा भूमि के खातेदारान भंवरलाल वल्द मोहनलाल, गीतादेवी पत्नी तनसुख, पुष्पादेवी पत्नी मदनलाल हि0 3/5 जाति ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर ने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2009 उप तहसीलदार जसोल के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी बालोतरा प्रथम द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उपरोक्त सहमति बंटवारानामा की जांच की गई उपरोक्त वर्णित पक्षकारान के नाम सहकाश्तकार की तौर से दर्ज है तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। इस पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2009 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.11.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स व रेस्पो0 सं. 2से4 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे–काश्त की भूमि मौजा बालोतरा तहसील पचपदरा में खसरा नम्बर 744, 745 व 746 रकबा क्रमशः 07–12, 00–01 व 08–17 बीघा अ[illegible] थी। अपीलांट्स के पिता नवरतनमल द्वारा खसरा नम्बर 744 [illegible] अकृषि कार्य किये जाने पर 01–18 बीघा भूमि [illegible] राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गई। अवशेष भूमि में अपीलांट्स का [illegible]सा 2/5 था किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में पक्षकारान के मौके–कब्जे अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बाड़मेर

विभाजन नहीं किया जाकर भिन्न प्रस्तावित विभाजन नक्शा को स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट्स के पिता द्वारा जिस स्थान पर धुलाई व रंगाई का कार्य किया जा रहा था एवं उनका कब्जा प्रदर्शित रूप में था उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर अपीलांट के हिस्से की भूमि को विभाजन नक्शा में अंकित कर दिया गया। अपीलांट्स के पिता द्वारा जहां अपनी भूमि पर धुलाई व रंगाई का व्यवसाय किया जा रहा था वहां आज भी अतिचारी के रूप में व्यवसाय चालू हैं जिसके लिये धारा 91 आरएलआर की कार्यवाही संस्थित की जा रही हैं। राजस्व अधिकारियों द्वारा भू–अभिलेख के कम्प्युटरीकरण के दौरान प्रत्येक खसरे की तरमीम आवश्यक होना पाये जाने पर खालसा भूमि खसरा नम्बर 1–18 बीघा की तरमीम उसके वास्तविक कटाण स्थल पर न कर अन्य स्थान पर की गई है जिसकी जानकारी अपीलांट मनीष कुमार को 15 दिन पूर्व हुई । इस पर हल्का पटवारी से पूछने पर बताया कि जो बंटवारा सहमति से करवाया गया हैं उसके अनुसार तरमीम का अंकन किया गया हैं तथा खालसा भूमि भौतिक रूप से खसरा नम्बर 1611 / 744 में अवस्थित हो रही है जहां यदि तरमीम की जाती हैं तो आपकी भूमि कम हो जाती हैं और पुरानी तरमीम को बदलने का हमें अधिकार नहीं हैं। अपीलाधीन भूमि मौके पर खसरा नम्बर 1612 / 744 जो रेस्पो0 सं. 2से4 के नाम हैं 4–10 बीघा दी गई है किन्तु उसकी तरमीम राजस्व नक्शे में हक से ज्यादा अंकित की गई हैं, इसमें गलत रूप से खालसा भूमि भी अपने हक में दर्ज करवा दी हैं। इस आधार पर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश कानूनी रूप से वैध नहीं होने से निरस्त योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन बंटवारा आदेश कब्जे–काश्त एवं विधिक हिस्से अनुसार नहीं हैं इस तथ्य की जानकारी अपीलांट को पूर्व में नही थी एवं अपीलांट भौतिक रूप से लगातार काबिज हैं। अर्सा 15 दिन पूर्व जब अपीलांट राजस्व नक्शा की नकल लेने के लिए हल्का पटवारी के पास गये तो बिना आदेश नवीन तरमीम खसरा नम्बर 1428 / 744 देखा तब उसने पटवारी से पूछताछ की तो पटवारी द्वारा बताया गया कि खालसा के समय उक्त भूमि की तरमीम अंकित नहीं की जा सकी थी किन्तु अब राजस्व अभिलेख के कम्प्युटरीकरण के दौरान आवश्यक थी। अपीलाधीन [illegible] प्रस्ताव में खालसा भूमि समाहित होने से उक्त त[illegible] की गई [illegible] सही कराने हेतु विभाजन को दुरूस्त कराना होगा। इस पर अपील[illegible] विभाजन प्रस्ताव पत्रावली की प्रतिलिपि चाही गई, जो दिनांक 31.10.20[illegible] को प्राप्त हुई है तथा सम्यक तत्परता से जानकारी होने से 30 दिवस के भीतर यह अपील पेश की जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

रही हैं। इस प्रकार जानकारी होने से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई हैं किन्तु सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गय हैं। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 194 दिनांक 10.06.2009 निरस्त फरमाया जावें तथा विवादित आराजी में अपीलांट्स के कब्जे–काश्त एवं विधिक हक हिस्से अनुसार जोत का बराबर बंटवारे की कार्यवाही का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट्स सं. 2 व 3 के अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि स्वंय अपीलांट मंजूदेवी, नीरज कुमार एवं मनीष कुमार एवं दिगर खातेदारों द्वारा आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी के बंटवारा हेतु आवेदन उप तहसीलदार जसोल के समक्ष प्रस्तुत किया था जो दिनांक 10.06.2009 को अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जसोल द्वारा स्वीकृत किया गया । इस प्रकार स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त भूमि का बंटवारा की जानकारी अपीलांट्स को प्रारम्भ से हैं जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 दिवस हैं लेकिन अपीलांट्स ने हस्तगत अपील लगभग 10 वर्ष से अधिक समय पश्चात प्रस्तुत की हैं जो चलने योग्य नही हैं। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध 10 वर्ष की लम्बी समयावधि के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की है जिसका समुचित कारण न तो अपील में अंकित किया हैं और न ही आवेदन पत्र में अंकन किया हैं जबकि विधि अनुसार अपील की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक दिन का विलम्ब स्पष्ट करने के लिए कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक हैं। इस आधार पर अपीलांट की यह अपील पूर्णतया मयाद बाधित होने के कारण निरस्त योग्य हैं। अपीलांट एवं रेस्पो0 सं. 2 से 4 ने विभाजन प्रस्ताव का आवेदन–पत्र उप तहसीलदार जसोल के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत किया था। उप तहसीलदार जसोल द्वारा सभी खातेदारान की स्वतंत्र सहमति अनुसार ही उक्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत कर हल्का पटवारी को राजस्व अभिलेख में इन्द्राज हेतु आदेश जारी किया गया हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यहीन एवं मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं जो मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:43 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्ताग[illegible]कट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख [illegible] पाया जाता है कि मौजा बालोतरा के खेत खसरा नम्बर 744, 745, 746 रकबा क्रमशः 07–12, 00–01, 08–17 बीघा भूमि के खातेदा[illegible] भंवरलाल वल्द मोहनलाल,

न्यायालय जिला ... बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

गीतादेवी पत्नी तनसुख, पुष्पादेवी पत्नी मदनलाल हि0 3/5 जाति ओसवाल निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर ने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.06.2009 उप तहसीलदार जसोल के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी बालोतरा प्रथम द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उपरोक्त सहमति बंटवारानामा की जांच की गई उपरोक्त वर्णित पक्षकारान के नाम सहकाश्तकार की तौर से दर्ज है तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। इस पर उप तहसीलदार जसोल द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2009 पारित किया गया। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि जो भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग के फलस्वरूप खालसा हुई थी उस पर अपीलांट्स का कब्जा हैं तथा इस कब्जे के भिन्न विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर अपीलाधीन आदेश के द्वारा स्वीकृत करवा दिया गया हैं। अपीलांट्स के अधिवक्ता का यह भी कथन हैं कि खालसा भूमि पर उनका कब्जा अतिचारी के रूप में आज भी हैं तथा उनके विरूद्ध धारा 91 आरएलआर एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही हैं किन्तु इस संबंध कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा अपीलांट्स के अकृषिक उपयोग के फलस्वरूप भूमि खालसा के संबंध में भी कोई आदेश/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं कि तत्समय भूमि संयुक्त खातेदारी की थी अथवा विभाजन उपरांत अपीलांट के कब्जे की रही थी, ऐसे में बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के खालसा भूमि अपीलांट्स के कब्जे की होने का तथ्य मात्र कयासी प्रतीत होता हैं। अपीलांट्स ने अपने अपील मीमो में ही प्रकट किया हैं कि उनका 2/5 हिस्सा अनुसार खसरा नम्बर 744 में 04.10 बीघा आता हैं जो विभाजन प्रस्ताव में सहमति से प्रदान किया गया हैं तथा नजरी नक्शा में जहां तरमीम प्रस्तावित की गई हैं उस पर अपीलांट्स द्वारा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंकित किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा हैं कि विभाजन के समय भूमि 01–18 खालसा हो चुकी थी अथवा नहीं ? क्योंकि पत्रावली में तत्समय की चालू [illegible] की प्रति संलग्न नहीं की गई हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के [illegible] जानबूझकर की पक्षकारान द्वारा इस तथ्य को छिपाया हैं [illegible] भूमि का विभाजन में उल्लेख नहीं किया गया हैं। अपीलांट्स द्वारा अ[illegible] अपील में विवादित भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

विभाजन में किसी भी तरह से भूमि कम ज्यादा मिलने का तथ्य प्रकट नहीं किया हैं बल्कि जो भूमि खालसा हुई है तथा उस पर अतिचारी के रूप में काबिज होना तथा अपना हक अधिकार प्रकट कर रहे हैं जो कतई विधिसम्मत नहीं हैं। अपीलांट्स यदि इस भूमि पर अपना अधिकार मानते हैं तो उनके पिता नवरतनमल द्वारा अकृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग करने के फलस्वरूप खातेदारी अधिकारों के पर्यवसान के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील द्वारा चाराजोही करनी चाहिए जो प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रकट तथ्यों से की जाना प्रतीत नहीं होता हैं। अपीलांट्स के अधिवक्ता का कथन हैं कि नक्शे में अंकित तरमीम के द्वारा अपीलांट के कब्जे वाली भूमि रेस्पोडेंट्स के हिस्से में चली गई हैं जबकि विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर अंकित कराये गये हैं जिसमे सभी पक्षकारान ने हस्ताक्षर अंकित किये हैं। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधिनस्थ उप तहसीलदार जसोल के समक्ष धारा 53(2)(i) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा उप तहसीलदार जसोल द्वारा इस इकरारनामा को अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं। अपीलांट द्वारा उक्त विभाजन कराने के बाद अपने–अपने हिस्से की भूमि के खातेदार दर्ज हो जाने के 10 वर्ष बाद राजस्व रेकर्ड में फेरबदल कराने हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं, जबकि एक बार सहमति प्रदान करने के बाद इसे जरिये अपील चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं हैं। द्वितीय अपीलांट्स जब स्वंय उक्त अपीलाधीन विभाजन तस्दीक कराने हेतु उप तहसीलदार जसोल के समक्ष उपस्थित हुए हैं तो इस आदेश की जानकारी उन्हे तत्समय नहीं होने का कथन मानने योग्य नही हैं तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई 10 वर्ष की लम्बी समयावधि का कोई ठोस एवं तार्किक कारण प्रकट नहीं किया गया हैं। इस प्रकार अपीलांट यह कथन कि अपीलाधीन विभाजन आदेश की जानकारी उसे अर्सा 15 दिन पूर्व ही हुई हैं, सरासर गलत कथन हैं। परिणामस्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत यह अपील सारहीन तथ्यों पर आधारित होने एवं मयाद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ-साथ मियाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ तहसीलदार पचपदरा एवं आयुक्त नगर परिषद बालोतरा को निर्देशित किया जाता हैं कि खालसा भूमि के संबंध में जांच कर यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते
Lok
जिला कलक्टर बाड़मेर

किसी प्रकार से अनाधिकृत कब्जा पाया जाता हैं तो उसे तुरन्त हटाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावें तथा पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

9. निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.08.31 17:42:43 IST
Reason: SelfAttested